कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) मध्यप्रदेश

(कक्ष–स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स म.प्र.)

E-mail—pccfwl@mp.gov.in

<u>स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स (STSF) की प्रभावी पैरवी:</u>

<u>काले हिरण व चिंकारा के शिकार और तस्करी के अंतरराज्यीय गिरोह के आरोपी सबाह की जमानत याचिका माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा खारिज</u>

<u>प्रेस विज्ञप्ति **(65/26,** दिनांक **11.09.2026)**</u>

मध्यप्रदेश में वन्यजीवों के अवैध शिकार और तस्करी से जुड़े संगठित अंतरराज्यीय गिरोहों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के अंतर्गत स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स (STSF) को एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। काले हिरण एवं चिंकारा के अवैध शिकार तथा उनके मांस की तस्करी में संलिप्त मुख्य आरोपी सबाह उर्फ सबाह अंतुले की जमानत याचिका को माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली की युगल पीठ द्वारा निरस्त कर दिया गया है।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव), मध्यप्रदेश के दिशा-निर्देशन में एसटीएफ इकाई इंदौर, स्थानीय पुलिस तथा वनमण्डल इंदौर के संयुक्त तत्वावधान में किशनगंज (इंदौर) क्षेत्र में एक विशेष कार्रवाई की गई थी। इस दौरान 65 किलोग्राम (लगभग) वन्यजीव मांस, 01 देशी पिस्टल, 03 जीवित कारतूस तथा तस्करी में प्रयुक्त टोयोटा इनोवा क्रिस्टा वाहन जब्त कर 03 आरोपियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया था। इस संदर्भ में वनमण्डल इंदौर द्वारा भारतीय वन अधिनियम 1927 एवं वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 के प्रावधानों के अंतर्गत वन अपराध प्रकरण क्रमांक 675/09 दिनांक 03.12.2024 दर्ज किया गया।

प्रकरण की संवेदनशीलता और गिरोह के व्यापक नेटवर्क को देखते हुए अग्रिम विवेचना का दायित्व स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स (STSF) इकाई इंदौर को सौंपा गया। जांच के दौरान नवीन वैज्ञानिक एवं तकनीकी साक्ष्य जुटाते हुए एसटीएसएफ ने अंतरराज्यीय तस्कर गिरोह के विरुद्ध पृथक प्रकरण (POR No. 237/22) दर्ज कर गहन जांच प्रारंभ की। वर्तमान में इस संगठित गिरोह के कुल 06 आरोपियों को सलाखों के पीछे भेजा जा चुका है।

प्रकरण के आरोपी सबाह द्वारा माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर में जमानत याचिका (MCRC 5598/2026) प्रस्तुत की गई थी, जिसे उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था। इसके पश्चात आरोपी द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में विशेष अनुमति याचिका (SLP No. 31922/2026) दायर की गई।

सुनवाई के दौरान स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स एवं राज्य शासन की ओर से वन्यजीव अपराध की गंभीरता और वैज्ञानिक साक्ष्यों को रेखांकित करते हुए अत्यंत ठोस व प्रभावी पक्ष प्रस्तुत किया गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की युगल पीठ ने एसटीएफएफ के तर्कों से सहमत होते हुए आरोपी सबाह अंतुले की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। उक्त आरोपी सबाह दिनांक 27/10/25 से केन्द्रीय जेल इंदौर में निरूद्ध है। प्रकरण में अग्रिम विवेचना जारी है।

अधिकृत अधिकारी
कार्या0 प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव)
(कक्ष- एसटीएसएफ)
मध्यप्रदेश, भोपाल